POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2026/अंक 04

मासिक प्रेषण दि. 8 अप्रेल, सी.एस.ओ., आरएमएस, जयपुर

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 अप्रेल, 2026 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव की चर्चाएं गांवों की चौपालों तक ही नहीं शहरों तक भी अब आम हो चली है। इस बार नई मतदाता सूची और दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ने की छूट ने चुनावी गणित को महत्वपूर्ण व रोचक बना दिया है।

राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या 11,341 से बढ़कर अब 14,403 हो गई है। वहीं ग्रामीण वार्डों की संख्या 1,05,000 से बढ़कर 1,30,282 तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि गांवों में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। 2020-21 के चुनावों में जहां मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 44 लाख के करीब थी, वह अब नई सूची के अनुसार 4 करोड़ 2 लाख 20 हजार हो गई है। अर्थात 58 लाख से भी अधिक मतदाता बढ़े हैं। इससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं।

इन बदले समीकरणों पर राजनीतिक दल भी गहन अध्ययन कर शतरंज की जाजम पर अपने चुनावी मोहरे जमाने में व्यस्त हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जहां इस बार चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों की संख्या में इजाफा होगा, वहीं प्रतिस्पर्धा बढ़ने की भी संभावना रहेगी। अब चुनाव की बाजी मतदाताओं पर निर्भर होगी। उन्हें ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनना होगा, जो राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए गांव की सरकार को मजबूत, प्रभावी एवं भ्रष्टाचार से मुक्त बना सके।

राज्य सरकार को भी पंचायतों को अधिक सशक्त और अधिकार सम्पन्न बनाना होगा। जिससे गांवों में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास हो और रोजगार के अवसर पैदा हो सके। साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित सामाजिक अंकेक्षण और सार्वजनिक सुनवाई की व्यवस्था हो सके।

अब दो से अधिक संतान वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव

प्रदेश में अब दो से अधिक संतान वाले भी पंचायतराज चुनाव लड़ सकेंगे। इसके लिए राज्य विधानसभा में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में दो बच्चों तक की बाध्यता हटाने के लिए संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा-19 में संशोधन किया गया है। धारा 19 में पंचायतराज चुनाव लड़ने के लिए दो से ज्यादा बच्चों की बाध्यता के प्रावधान को हटा दिया गया है। अब वार्डपंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख के लिए बच्चों से जुड़ी बाध्यता नहीं रहेगी।

इसी तरह राज्य विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 भी पारित कर दिया गया है, जो निकाय चुनावों में दो से ज्यादा बच्चों वालों के चुनाव लड़ने पर रोड़ा बना हुआ था। अब नगरपालिका एक्ट की धारा 18 (2) में संशोधन के बाद दो से अधिक संतान अयोग्यता का कारण नहीं बनेगी। इसके साथ ही कुष्ठ रोग पीड़ितों के चुनाव लड़ने पर लगी दशकों पुरानी पांबदी को भी हटा दिया गया है। गौरतलब है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुष्ठ रोगियों से भेदभाव खत्म करने के आदेश दिए थे। पारित विधेयकों को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर की लेटलतीफी...कंपनी भरेगी हर्जाना

जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-तृतीय में राधेश्याम मीणा ने एविएशन ऑक्जीलरी सर्विस कंपनी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। मामले के अनुसार परिवादी 2019 के लोकसभा चुनाव में दौसा संसदीय क्षेत्र के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार के लिए उक्त कंपनी से 3 मई 2019 को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए हेलीकॉप्टर सेवा बुक कराई और एनइएफटी के जरिए 7,83,520 रुपए जमा कराए। निर्धारित तिथि को हेलीकॉप्टर को सुबह 9 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन वह करीब 9.50 बजे रवाना हुआ और 12 बजे के बजाय सुबह 11.50 पर ही लौट आया। इससे परिवादी को चुनाव प्रसार के लिए कम समय मिला, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने एविएशन ऑक्जीलरी सर्विस कंपनी की सेवा में कमी माना और सेवा प्रदाता कंपनी व उसके प्रबंध निदेशक को सेवा में 45 मिनट का कम समय देने के बदले 1,95,880 रुपए की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित वापस लौटाने और साथ ही 21 हजार रुपए हर्जाने स्वरूप देने के निर्देश दिए हैं।

किसानों के हित में नया बीज विधेयक

केंद्र सरकार संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण (9 मार्च से 2 अप्रेल) में नया बीज विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। विधेयक में नकली बीज बेचने पर 30 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की सजा जैसे सख्त प्रावधान किए गए हैं।

यह विधेयक देश में बीज नियमन से जुड़े मौजूदा कानूनी ढांचे में व्यापक बदलाव करेगा। नए कानून के लागू होने के बाद फर्जी या बिना पंजीकरण वाले बीजों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। प्रस्तावित कानून मौजूदा बीज अधिनियम 1966 का स्थान लेगा, जो अधिसूचित बीज किस्मों को नियंत्रित करता है। इस विधेयक का उद्देश्य बीज की गुणवत्ता, पारदर्शिता और ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करना है। माना जा रहा है कि यह बदलाव किसानों के हित में राहतभरा ठोस कदम साबित होगा।

गांवों में होगी पानी की डिजिटल मैपिंग

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि अब पानी के स्त्रोत से लेकर नल तक सप्लाई तंत्र की डिजिटल मैपिंग होगी। इसके लिए एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा 'सुजलम भारत' तैयार होगा। हर गांव को यूनिक 'सुजल गांव/सर्विस एरिया आईडी' मिलेगी।

ग्राम पंचायत और जल एवं स्वच्छता समिति योजना शुरू होने और हस्तांतरण प्रक्रिया में 'जल अर्पण' कार्यक्रम के तहत शामिल रहेंगी। ग्राम पंचायत काम पूरा होने का प्रमाण देगी। राज्य सरकार जब यह सुनिश्चित कर देगी कि गांव संचालन-रखरखाव की पूरी व्यवस्था है, तभी पंचायत 'हर घर जल' घोषित हो सकेगी। विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रख जेजेएम 2.0 गांवों में चौबीसों घंटे पानी सप्लाई पर काम करेगा।

अटल ज्ञान केंद्र होंगे विकसित

प्रदेश में ग्रामीण युवाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 1687 अटल ज्ञान केंद्रों को वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

अटल ज्ञान केंद्र योजना के तहत स्थापित किए जा रहे इन केंद्रों को ग्रामीण युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन, डिजिटल साक्षरता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इसके लिए सभी केंद्रों में निर्धारित अधोसंरचना, डिजिटल सुविधाएं एवं अध्ययन संसाधन समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

किसानों को मिलेगी सटीक जानकारी

केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आम बजट में अन्नदाताओं के कल्याण के लिए घोषित 'भारत विस्तार' का शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा भारत विस्तार के माध्यम से कृषि में 'डिजिटल क्रांति' का शंखनाद हुआ है। इससे देशभर में शुरू हुए एआई आधारित नवाचार से किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समग्र कृषि से जुड़ी त्वरित एवं सटीक जानकारियां मिलेगी। जिससे किसान समृद्ध व आत्मनिर्भर बनेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत विस्तार की तकनीकी प्रणाली किसानों की खुशहाली बढ़ाएगी।

स्वरोजगार से प्रदेश के युवा बनेंगे उद्यमी

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है। योजना के तहत प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उद्यमी बनाने का लक्ष्य तय किया है। युवाओं को सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की जारी गाइडलाइन के अनुसार योजना में शत-प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। साथ ही 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी और सूक्ष्म व लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुल्क का पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने राज्यस्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में की थी।

सिंघनिया गांव में नहीं होता मृत्युभोज

राजस्थान के करौली जिले के 250 घरों वाले सिंघनिया गांव में अब मृत्यु भोज नहीं होता। गांव वाले मृत्युभोज में लगने वाला पैसा सरकारी स्कूल में दान करते हैं। ग्रामीण तीन साल में 20 लाख रुपए गांव के स्कूल को दान कर चुके हैं।

इस राशि से स्कूल में नए कमरे बने हैं और पढ़ाई में काम आने वाली आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था हुई है। यह सब गांव के युवाओं की पहल पर हुआ। गांव के बुजुर्गों ने भी ऐसी सामाजिक कुरुतियों को बंद करने का फैसला किया है। मृत्युभोज न करने की शुरुआत कराने वाले सुरेश को राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, सिंघनिया के प्रिंसिपल श्यामबिहारी मीणा ने स्कूल में सम्मानित किया और कहा इससे अन्य गांवों को भी प्रेरणा मिलेगी।

किसानों का यूरिया कारखानों में?

अन्नदाता की मेहनत पर खाद-बीज का 'काला' खेल पानी फेर रहा है। हाल ही कृषि विभाग ने जयपुर में सांगानेर स्थित मुहाना मंडी क्षेत्र में छापा मारा तो किसानों को अनुदान पर सप्लाई होने वाले यूरिया को ब्लैक में खरीदकर डीजल वाहनों में इस्तेमाल होने वाला डेफ बनाने का मामला सामने आया।

छापे में अनुदानित यूरिया के 1154 कट्टे जब्त किए गए। विभाग द्वारा अवैध भंडारण करने वाले दिनेश शर्मा से पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि यूरिया किस रिटेलर या होलसेलर से खरीदा गया था और उस तक कैसे पहुंचा? गौरतलब है, अनुदानित यूरिया का औद्योगिक उपयोग प्रतिबंधित है और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के सेक्शन 25 के तहत दंडनीय अपराध है।

पंचायत से राज्य स्तर तक होंगे खेल

राजस्थान सरकार ने खेलो राजस्थान के लिए हर साल 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। स्पोर्टस एंड फिटनेस फॉर आल के तहत पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई खेलों का आयोजन किया जाएगा।

इनमें पारंपरिक खेलों के साथ ओलंपिक खेलों को भी शामिल किया गया है। राजस्थान में पूरे साल खेलों का माहौल रहेगा और गांव-गांव तक से प्रतिभाएं निकलकर सामने आएंगी। 12 खेलों का स्टेट लेवल का कार्यक्रम 20 अप्रैल से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। गांव के 70 लाख से ज्यादा खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेंगे। इसमें क्लाइमेट को देखते हुए खेलों का आयोजन होगा।

मिसाल बन रही आदिवासी महिलाएं

प्रदेश के वागड़ क्षेत्र की आदिवासी महिलाएं आत्मनिर्भरता में नई मिसाल कायम कर रही हैं। वे बैंकों से लिए गए कर्ज को भी समय पर चुका रही हैं। प्रदेश में जारी रैंकिंग में वागड़ जिले बेहतर स्थिति में हैं। झुंझुनूं पहले, डूंगरपुर दूसरे व बांसवाड़ा तीसरे स्थान पर है।

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जुड़कर यहां की आदिवासी महिलाएं बैंकों से ऋण लेकर अलग अलग व तरह-तरह के छोटे उद्योग शुरू कर सफल उद्यमी बन रही हैं। सालभर में जिले की 70 हजार 704 महिलाओं ने एसएचजी के माध्यम से 'लखपति दीदी' बनने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

गौ माता के लिए बनेंगे आश्रय स्थल

राज्य सरकार द्वारा निराश्रित गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 457 पंचायत समितियों की एक-एक पंचायत में पंड़ित दीनदयाल उपाध्याय चरागाह विकास आधारित गौ माता आश्रय स्थल स्थापित किए जाएंगे।

इस योजना के लिए कुल 388 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। प्रत्येक आश्रय स्थल का क्षेत्रफल करीब 20 हेक्टेयर का होगा। एक आश्रय स्थल की अनुमानित लागत करीब 85 लाख रुपए होगी। जिसके तहत जल संरक्षण संरचनाएं, पानी की पक्की खेली, सघन वृक्षारोपण, चरागाह विकास, चारा भंडारण तथा कंपोस्ट खाद उत्पादन जैसे कार्य किए जाएंगे।

गांवों का होगा सुनियोजित विकास

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों के क्रम में राज्य के प्रत्येक ग्राम और वार्ड का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इन मास्टर प्लान्स में भविष्य की आवश्यकताएं और महिला, युवा, गरीब एवं किसान सहित सभी आयु वर्ग के सुझाव शामिल किए जाएंगे।

ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्डों के मास्टर प्लान अभियान से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास करना है, जिससे ग्रामीणों का पलायन रूके। मास्टर प्लान्स में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें समय पर क्रियान्वित करने के दिशा निर्देश दिए हैं।

राजस्थान टीकाकरण में आगे निकला

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि 1992-93 में एनएफ-एचएस सर्वे के मुताबिक प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत मात्र 21.1 था, जो एनएफएचएस सर्वे 2020-21 में बढ़कर 80.4 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2024-25 में पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत 91.8 प्रतिशत है। इससे प्रदेश के लाखों बच्चों व माताओं को नया जीवन मिला है। टीकाकरण के प्रभावी क्रियान्वयन से विगत वर्षों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तेजी से कम होकर राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में है। प्रदेश में बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों को 10 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, जिससे लगभग 11 गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलती है।

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485